ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011

Socio Economic & Caste Census 2011 in Rural India

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

Ministry of Rural Development
GOVERNMENT OF INDIA

ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011

25 जुलाई 2011

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

प्रस्तावना

देश में जातिवार जनसंख्या के अनुमान लगाने और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का पता लगाने के संबंध में जनता की बहुत अधिक रूचि रही है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का पता लगाने के लिए पिछली कार्यवाही सन् 2002 में की गई, लेकिन उसकी कई सीमाएं थी।

अब, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जून, 2011 और दिसम्बर, 2011 के बीच सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी) 2011 का कार्य कर रहा है। पहली बार भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए इतने बड़े पैमाने पर कार्यवाई की जा रही है।

एस.ई.सी.सी. 2011 के निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैं:-

1. घर-घर जाकर सामाजिक-आर्थिक गणना करना जिससे परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके स्तर का पता लग जाएगा। तब राज्य सरकारें गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची तैयार कर सकेंगी।

2. प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना, जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके।

3. विभिन्न जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और विभिन्न जातियों और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना।

2002 के बी.पी.एल. सर्वेक्षण की कमियों पर एस.ई.सी.सी. 2011 में विस्तृत रूप से ध्यान दिया जा रहा है। एस.ई.सी.सी. 2011 में:-

- सारा कार्य बिना कागज-पत्र के हैण्डहेल्ड इलेक्ट्रोनिक डिवाइज़ (टेबलेट पी.सी.) पर किया जाएगा। इससे आंकड़ा प्रविष्टि में गलतियाँ और प्रगणक के स्वनिर्णय में बहुत अधिक कमी आएगी।

- सारी सूचना पूर्णतः आधार और एन.पी.आर के अनुकूल होगी।

- ❖ यह सुनिश्चित् करने के लिए कि किसी प्रकार की गलत सूचना न दी जाए, गणना चरण से ग्राम सभा के स्तर पर जनता द्वारा जाँच- सभी स्तरों पर जाँच पड़ताल की व्यवस्था की गई है।
- ❖ अधिकांश जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।

इस पुस्तिका में एस.ई.सी.सी. 2011 को वर्णित किया गया है। चूँकि, यह ग्रामीण भारत से संबंधित है, अतः इसमें साधारण भाषा में पूरी कार्यवाही निर्दिष्ट की गई है।

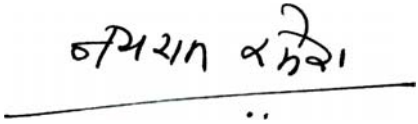

जयराम रमेश
ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

1. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 क्या है?

भारत सरकार द्वारा देश भर के परिवारों से संबंधित सामाजिक आर्थिक संकेतकों की विशाल संख्या पर जानकारी एकत्र करने के लिए सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 कराई जा रही है। इसके तीन महत्वपूर्ण परिणाम होंगेः

- पहला, सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान करेगी जिससे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें यथार्थ रूप से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की एक सूची तैयार कर सकेगी।
- दूसरा, इससे देश में जनसंख्या के जातिवार ब्योरों की प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।
- तीसरा, यह विभिन्न जातियों का सामाजिक आर्थिक विवरण प्रदान करेगी।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 भारत सरकार के तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग के साथ राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए एक साथ आयोजित की जा रही है।

2. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 क्यों कराई जा रही है?

- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर यथार्थतः से रैंक प्रदान करेगी जो कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान का आधार होगा।

- इससे सरकारी योजनाओं को सही लाभार्थी तक पहुँचाने में सहायता मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि सभी सुपात्र लाभार्थियों को लाभ पहुँचे तथा अपात्र लाभार्थी इनका लाभ नहीं ले पाएं।
- अत्यधिक वंचित के रूप में पहचाने गए परिवारों को सरकारी कल्याण योजनाओं के अंतर्गत सर्वाधिक प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाएगा।
- गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की पहचान का कार्य पिछली बार सन् 2002 में किया गया था। इससे मिली सीख के आधार पर कार्य पद्धति को व्यापक रूप से संशोधित किया गया ताकि सम्पूर्ण कवरेज, सुनिश्चित पारदर्शिता और सामाजिक आर्थिक पैमानों के आधार पर परिवारों की पहचान का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

3. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 कब प्रारंभ होगी?

- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, जून, 2011 और 31 दिसम्बर, 2011 के मध्य आयोजित की जा रही है।
- इसे 29 जून, 2011 को पश्चिमी त्रिपुरा के हाजीमोरा खंड में शुरू किया गया था

4. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 और योजना आयोग द्वारा लगाए गए गरीबी अनुमानों में क्या अतंर है?

योजना आयोग विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रही ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुमान उपलब्ध कराता है। अर्थात् यह अनुमान लगाता है कि गरीबी "कितनी" है। दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 यह जानकारी प्रदान करेगी कि "कौन" सी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। इस प्रकार उदाहरण के लिए, किसी राज्य के संबंध में योजना आयोग के जनसंख्या के गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुमान ग्रामीण जनसंख्या के लिए 55% और शहरी जनसंख्या के लिए 30% हो सकते हैं। सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 यह पहचान करने में समर्थ बनायेगी कि किसी विशिष्ट राज्य में कौन से परिवार क्रमशः 55% और 30% में शामिल हैं।

5. क्या सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 की कार्य पद्धति का प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किया गया है?

ग्रामीण क्षेत्रः ग्रामीण क्षेत्रों की कार्य पद्धति को विभिन्न कार्य पद्धतियों के फील्ड परीक्षणों के उपरांत अन्तिम रूप दिया गया है; और इसके लिए **"सक्सेना विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों"** का संदर्भ के तौर पर प्रयोग किया गया है। फील्ड परीक्षण दो चरण में किए गए थे। पहला, एक संरचित प्रश्नावली का प्रयोग कर 254 गांवों की सामाजिक आर्थिक जनगणना की गई थी। दूसरा, अनेक अनुकूलतम मानदंडों के अनुसार उसी गांव में परिवार को रैंक देने के लिए एक सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीक उपयोग में लाई गई थी। 43,000 ग्रामीण परिवारों को कवर कर रहे 29 राज्यों में फैले 161 गांवों के परिणामों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में मापदंड को अंतिम रूप देने के लिए उपयोग में लाया गया।

शहरी क्षेत्रः योजना आयोग ने शहरी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आयोजन हेतु कार्य पद्धति को अभिज्ञात करने के लिए हाशिम समिति विशेषज्ञ समूह की नियुक्ति की। इससे प्राप्त आंकड़ों का विशलेषण किया जाएगा और इसके आधार पर यह समिति शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों की पहचान करने की कार्य पद्धति ज्ञात करेगी।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आयोजन की प्रक्रिया क्या है?

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 एक व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय और राज्य सरकार को शामिल कर आयोजित की जाएगी। यह प्रक्रिया निम्नवत् हैः

- प्रत्येक कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट एक जिला/नगर योजना और एक संप्रेषण योजना तैयार करेगा।
- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के लिए 24 लाख गणना ब्लाकों का उपयोग किया जाएगा-प्रत्येक गणना ब्लॉक में अनुमानतः 125 परिवार हैं। ये वही गणना ब्लॉक हैं जो कि जनगणना 2011 के दौरान बनाए गए थे। प्रगणकों को जनगणना 2011

के दौरान तैयार मानचित्र तथा संक्षिप्त मकानसूची की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे क्षेत्र का सम्पूर्ण कवरेज सुनिश्चित होगा।

- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के लिए प्रगणकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रगणक को चार गणना ब्लॉक दिए जाएंगे और प्रत्येक 6 प्रगणकों पर एक पर्यवेक्षक होगा।
- प्रगणक गणना ब्लॉक में अभिज्ञात प्रत्येक परिवार का दौरा करेगा और प्रश्नावली को भरेगा। वे बेघर जनसंख्या (उदाहरणार्थ रेलवे स्टेशन, सड़क के किनारे, आदि स्थानों पर रह रहे लोग) के पास भी जाएंगे।
- प्रत्येक प्रगणक के साथ एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रहेगा।
- यह डाटा एक इलेक्ट्रानिक हैन्ड हेल्ड डिवाइस (एक टेबलेट पीसी) में सीधे लिया जाएगा। हैन्ड हेल्ड डिवाइस में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हेतु भरे गए फार्मों की स्कैन इमेज प्रविष्ट होंगी। इससे भी सम्पूर्ण तथा यथेष्ट कवरेज सुनिश्चित् होगी।
- जानकारी (टेबलेट पीसी में समाविष्ट) उत्तरदाता को पढ़कर सुनाई जाएगी जो कि इसे सत्यापित करेगा। प्रगणक तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर की हुई एक मुद्रित पावती उत्तरदाता को दी जाएगी।
- एकत्र किए गए आंकड़ों को पंचायत में सत्यापित किया जाएगा।
- किसी गणना ब्लॉक से सारी जानकारी एकत्र हो जाने के बाद सत्यापन के लिए एक प्रारूप प्रकाशन सूची तैयार की जाएगी।
- इस प्रारूप सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर इस सूची को सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा के समक्ष पढ़ा जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति इसके संबंध में दावे/आपत्तियां और सूचना पदनामित अधिकरियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यह प्रारूप सूची ग्राम पंचायत, खंड विकास कार्यालय, चार्ज केन्द्र और जिला कलैक्टर के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।
- यह सूची एन.आई.सी./राज्य सरकार/ग्रामीण विकास मंत्रालय/आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालयों की वेबसाइटों पर भी लोड की जाएगी। इससे पारदर्शिता बनाए रखने में सहायता मिलेगी और जवाबदेही बढ़ेगी।

7. यह प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार अभ्यास में लाई जाऐगी?

प्रगणक गणना ब्लॉक के प्रत्येक परिवार से प्रश्न पूछना

↓

गणना ब्लॉक के आंकड़ों को एकत्र करना

↓

सामाजिक आर्थिक मानकों के आधार पर स्वतः ही सूची से **हटाए जाने वाले** परिवारों की पहचान की जा सकेगी

↓

सामाजिक आर्थिक मानकों के आधार पर स्वतः ही सूची में **शामिल किए जाने वाले** परिवारों की पहचान की जा सकेगी

↓

शेष परिवारों के वंचन का मूल्यांकन करना

↓

स्वतः शामिल होने और वंचक कारकों के आधार पर परिवारों को रैंक देना

↓

राज्य स्तरीय रैंकिग तैयार करना

↓

रैंकिग लिस्ट को राज्य सरकारों को सौंपना

↓

छत्रक के रूप में राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग के गरीबी के अनुमानों का उपयोग

8. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को किस प्रकार रैंक दिया जाएगा?

परिवारों को तीन स्तरीय प्रक्रिया द्वारा रैंक दिया जाएगा

a. परिवारों का एक समूह स्वतः अलग हो जाएगा

निम्नलिखित में से बने किसी भी एक के धारक परिवार स्वतः अलग हो जायेंगें:

- मोटर चालित दोपहिया/तिपहिया/चार पहियों वाले वाहन/मछली पकड़ने की नाव।
- मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण।
- 50 हजार और इससे अधिक की मानक सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड।
- सरकारी सेवक वाले किसी सदस्य के परिवार।
- सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार।
- परिवार का कोई सदस्य 10,000 रूपए प्रति मास से अधिक कमाता है।
- आयकर अदा करते हैं।
- व्यावसायिक कर अदा करते है।
- सभी कमरों में पक्की दीवारें और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरे।
- रेफ्रिजरेटर है।
- लैंडलाइन फोन है।
- कम से कम 1 सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है।
- दो अथवा उससे अधिक फसल के मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है।
- कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि है।

b. परिवारों का एक समूह स्वतः शामिल हो जाएगा

निम्नलिखित स्थिति वाला परिवार स्वतः शामिल हो जायेगाः

- बेघर परिवार
- निराश्रित/भिक्षुक
- मैला ढोने वाले
- आदिम जनजातीय समूह
- कानूनी रूप से मुक्त किये गये बंधुवा मजदूर

c. बाकी बचे परिवारों को सात वंचन सूचकांको का प्रयोग करते हुए रैंक दिया जाएगा। सबसे अधिक वंचन स्कोर वाले परिवार को गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की सूची में शामिल करने के लिए सबसे उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

निम्नलिखित वंचन सूचकांक हैं:

- कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरे में रहने वाले परिवार।
- परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं है।
- निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार।
- अनु.जा./अनु.ज.जा. परिवार
- ऐसे परिवार जहां 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है।
- भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी कौन एकत्रित करेगा?

- प्रत्येक गणना ब्लॉक में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रगणक यह कार्य करेगा। उसके साथ एक डाटा एंट्री आपरेटर होगा।
- प्रगणक अपने साथ राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी अपना नियुक्ति प्रमाण-पत्र और पहचान पत्र लेकर आएगा।
- इसके अलावा, व्यक्तिगत विवेकाधिकार की कोई संभावना न छोड़ते हुए प्रगणक के साथ ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का प्रतिनिधि और कोई अन्य नागरिक हो सकता है ताकि आंकड़े निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एकत्रित किये जाने सुनिश्चित् हों।
- यह ध्यान दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण इस प्रयोजन के लिए प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की सेवायें प्राप्त नहीं की जा सकती हैं।

10. जानकारी किस प्रकार एकत्रित की जाएगी?

- प्रगणक अपने पास रखी प्रश्नावली में से उत्तरदाता से प्रश्न पूछेगा। डाटा एंट्री आपरेटर उन उत्तरों को हस्तचालित इलैक्ट्रानिक उपकरण (टेबलेट पी.सी.) में दर्ज करेगा।
- उत्तरदाता को अपने द्वारा दी जा रही जानकारी के समर्थन में कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं दिखाना है। तथापि, उत्तरदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सही और प्रमाणिक जानकारी दे जिसका प्रगणक द्वारा सत्यापन किया जा सकता है।
- आंकड़े एकत्रण का कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रगणक अपने और डाटा एन्ट्री आपरेटर द्वारा हस्ताक्षरित पावती रसीद उत्तरदाता को देगा।
- प्रगणक उत्तरदाता के मकान की बाहरी दीवार पर स्टीकर चिपकायेगा।

11. ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की जानकारी एकत्रित की जाएगी?

जानकारी व्यक्ति और परिवार के संदर्भ में एकत्रित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

- व्यवसाय
- शिक्षा
- निःशक्तता
- धर्म
- अनु.जा./अनु.ज.जा. स्थिति
- जाति/जनजाति का नाम
- रोज़गार
- आय और आय का साधन
- परिसम्पत्तियाँ
- मकान
- टिकाऊ और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान
- भूमि

12. ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से आंकड़े उपलब्ध कराये जायेंगे और कहाँ पर?

मसौदा प्रकाशन सूची का मुद्रण करने के पश्चात् परिवार द्वारा अपने धर्म और जाति के नाम के बारे में दी गई जानकारी को छोड़कर अन्य सभी आंकड़े, ग्रामसभा और पंचायत में पढ़कर सुनायें जायेंगे। इसके पश्चात् धर्म, जाति और जनजाति के आंकड़ों को छोड़कर व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक कर दी जायेगी।

13. गलत बयानी अथवा त्रुटियों की रोकथाम के क्या उपाय किये जायेंगे? आम जनता द्वारा जाँच पड़ताल के लिये क्या प्रक्रिया रखी गई है?

पारदर्शिता को बनाए रखने और गलतबयानी को रोकने के लिये कई उपाय किये गये हैं:

सभी आंकड़े हस्तचालित उपकरण में दर्ज़ किये जायेंगे जिससे आंकड़ों की प्रविष्टि की त्रुटियां कम होंगी और जानकारी के अंतर्वेशन अथवा गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। इससे इस कार्य के लिए अपेक्षित समय और संसाधनों की आवश्यकता भी कम होगी।

- उत्तरदाता द्वारा सभी प्रश्नों का उत्तर दिये जाने के बाद प्रगणक उसे दर्ज की गयी जानकारी पढ़कर सुनायेगा।
- व्यक्तिगत विवेकाधिकार के लिए कोई सम्भावना न छोड़ते हुए प्रगणक के साथ ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का प्रतिनिधि और कोई अन्य नागरिक हो सकता है ताकि आंकड़े निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एकत्रित किये जाने सुनिश्चित हों।
- प्रश्नावली भरने के बाद प्रगणक उत्तरदाता को दर्ज की गयी जानकारी पढ़कर सुनायेगा और उत्तरदाता को हस्ताक्षरित पावती रसीद देगा। यदि उत्तरदाता असहमत है तो उसे अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जायेगा। प्रगणक जांच करेगा, तथ्यों का सत्यापन करेगा और सही पाए जाने पर आकड़ों को परिवर्तित करेगा। प्रगणक इसके बारे में पर्यवेक्षक को जानकारी देगा जो कि इस प्रकार की जानकारी में अन्तर वाले परिवार का दौरा करेगा।
- मसौदा सूची ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय, चार्ज केन्द्र और जिला कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध करायी जाएगी। यह सूची एन.आई.सी. /राज्य सरकार/ ग्रामीण विकास मंत्रालय/आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी जाएगी।

- मसौदा सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर ग्राम सभा की बैठक की जाएगी। ग्राम सभा की बैठक में प्रत्येक परिवार के नाम और उत्तर पढ़कर सुनाए जायेंगे। इस बैठक में किये गये सभी दावों और आपत्तियों को दर्ज किया जाएगा तथा इनका निपटान किया जाएगा।
- हस्तचालित इलेक्ट्रानिक उपकरण से आंकड़ों को सीधे डाटाबेस में अपलोड किया जाएगा। इससे त्रुटियों और छेड़छाड़ की संभावना समाप्त होगी जो कि मैनुअल आंकड़ा प्रविष्टि कार्य में हो सकती है।
- संम्पूर्ण दिशानिर्देशन और पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक समूह (उच्च प्रतिष्ठा वाले संस्थान) की सूची तैयार की जा रही है ताकि आंकड़े सही और निष्पक्ष रूप से एकत्रित किये जा सकें।

14. समाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 को जनगणना अधिनियम 1948 के अधीन क्यों नहीं किया गया?

जनगणना अधिनियम, 1948 के अधीन एकत्रित व्यक्तिगत ब्योरे गोपनीय रखे जाते हैं। सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में आंकड़ों (जाति संबंधित आंकड़ों को छोड़कर) को सार्वजनिक किया जाएगा। तथापि, दशकीय जनगणना में प्रयुक्त प्रशासनिक तंत्र का ही उपयोग करके सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की जा रही है।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) 2011, बी.पी. एल जनगणना 2002 से किस प्रकार बेहतर है?

	बी.पी.एल. 2002	एस.ई.सी.सी. 2011	बी.पी.एल. 2002 के सन्दर्भ मे लाए गए नवाचार
1. उपयोग में लाए गए मापदण्ड	13 सामाजिक-आर्थिक सूचकांको के साथ पहचानी गई बी.पी.एल. जनसंख्या के परिणामों में त्रुटियों का बहुत अधिक सम्मिलन और अपवर्जन रहा।	बी.पी.एल. जनसंख्या को पहचानने वाले के लिए उपयोग में लाये जा रहे मानदण्ड के 3 घटक है: स्वतः अपवर्जन स्वतः सम्मिलन और सात वंचन सूचकांकों के आधार पर रैकिंग।	सम्मिलन/अपवर्जन की सीमा रेखा को काफी हद तक कम कर दिया गया है: ❖ स्वतः अपवर्जन का मानदण्ड अपात्र परिवारों के बी.पी. एल. सूची में प्रवेश पाने की सम्भावना को कम करता है। ❖ स्वतः सम्मिलन का मानदण्ड सबसे पात्र परिवारों के बी.पी. एल. सूची में शामिल होने की सम्भावना को बढ़ा देता है।
2. आकड़ो का सत्यापन और जनता द्वारा जांच	जानकारी को जनता से सत्यापित नहीं कराया गया।	गणना स्तर पर पर्यवेक्षक, ग्राम सभा और राज्य सरकार के अन्य कार्यालयों द्वारा सत्यापन	विभिन्न स्तरों पर जनता द्वारा जांच, जानकारी का सत्यापन और अधिक पारदर्शिता
3. स्कोर पद्धति	52 बिन्दुओं की जटिल पद्धति	आसान पद्धति के साथ वर्गीकरण के 4 तरीके	ग्रामवासी आसानी से समझ सकते है: आसानी से कार्यान्वित किया जा सकता है आसानी से सत्यापन, प्रगणक की अपनी समझ का कम इस्तेमाल, बी.पी.एल. जनगणना 2002 में प्रयोग में लाए गए विशिष्ट सुविधाओं (जैसे शौचालय इत्यादि) आधारित मानदण्ड का उपयोग नहीं किया जाता।
4. मैनुअल बनाम इलैक्ट्रॉनिक	आकड़ों की प्रविष्टि छपे फार्मों से हाथ से की गई	हैंडहेल्ड इलेक्ट्रोनिक डिवाईस (टेबलेट पी.सी.) से आकड़ों की सीधी प्रविष्टि	कागज-मुक्त पद्धति दक्षता बढ़ाती है, सटीकता बढ़ती है, आंकड़ो को दोहराव और उनके गलत होने की सम्भावन नहीं रहती।।
5. एकत्रित आंकड़ो की उपयोगिता	कार्यक्रम की मध्यस्थता हेतु विभिन्न मंत्रालयों को आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए	आंकड़ो का एम. आई. एस. में प्रदर्शन, आधार एवं एन. पी. आर. के साथ पूरी तरह अनुकुल, विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, पी. आर. आई. एवं नागरिकों के उपयोग के लिए सुलभ	पारदर्शिता ; योजनाओं के लिए आंकड़ो का उपयोग विभिन्न सरकारी विभागों को लक्षित करके किया जा सकता है; अनुसंधान एवं विश्लेषण के लिए सुविधाजनक, जनता द्वारा जांच
6. जनगणना का प्रकार	2002 का बी. पी. एल. एकल रूप में किया गया	एस. ई. सी. सी. 2011 ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से जाति की गणना के सांथ किया जा रहा है।	व्यापक डाटावेस का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। जाति आधारित आंकड़ों की निजता बनाए रखते हुए जाति को आर्थिक विकास के स्तर से जोड़ने से जाति के उतार-चढाव को और बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के लिए भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित लघु हस्तचालित उपकरण (पी.सी.)

मुख्य विशेषताएँ

- प्रभावी गणना का साधन तथा उपलब्ध उपकरण
- इसका वजन 1 कि.ग्रा. है तथा इसे हस्तचालित उपकरण के रूप में कहीं भी ले जाया जा सकता है
- 7 इंच एल.सी.डी. रंगीन डिस्प्ले
- टच स्क्रीन, नेविगेशन-की तथा की-बोर्ड
- ईथरनेट के माध्यम से इंटरनेट संपर्कता, 2 यू.एस.बी. पोर्ट
- इसके विविध कार्यों में सोलर बैटरी का उपयोग किया जा सकता है।

Socio Economic & Caste Census 2011 in Rural India

25th July 2011

Ministry of Rural Development
GOVERNMENT OF INDIA

Foreword

There has been extensive public interest in estimating caste-wise population in the country, and on identifying households living below the poverty line. The last exercise to identify people living in poverty was conducted in 2002, but had several limitations.

The Ministry of Rural Development Government of India, is now carrying out the Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011, between June 2011 and December 2011, through a comprehensive door to door enumeration across the country. This is the first time such a comprehensive exercise is being carried out for both rural and urban India.

The SECC, 2011 has the following three objectives:

1. To enable households to be ranked based on their socio-economic status. State Governments can then prepare a list of families living below the poverty line
2. To make available authentic information that will enable caste-wise population enumeration of the country
3. To make available authentic information regarding the socio-economic condition, and education status of various castes and sections of the population

The shortcomings of the 2002 BPL survey are being addressed comprehensively in the SECC, 2011:

- The entire exercise will be paperless, done on a handheld electronic device (tablet PC). This will drastically reduce data entry errors and enumerator discretion

- Checks and balances at several levels - from the enumeration stage, to public scrutiny at the Gram Sabha level – will ensure that there is no misreporting
- Almost all of the information will be made available in the public domain

This booklet explains the SECC,2011, **as it relates to rural India**, and details the entire process in simple language

Jairam Ramesh
Minister of Rural Development
Government of India

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. What is the Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011?

The Socio Economic and Caste Census (SECC), 2011 is being carried out by the Government of India to generate information on a large number of social and economic indicators relating to households across the country. It will have three important outcomes:

- Firstly, the SECC, 2011 will rank households based on their socio-economic status, so that State/Union Territory Governments can objectively prepare a list of families living below the poverty line in rural and urban areas
- Secondly, it will make available authentic information on the caste-wise breakup of population in the country
- Thirdly, it will provide the socio-economic profile of various castes

The SECC, 2011 is being conducted simultaneously for rural and urban areas, by the respective State Government and Union Territory Administration, with technical and financial support from the Government of India.

2. Why is the SECC, 2011 being carried out?

- The SECC, 2011 will objectively rank households based on their socio-economic status, which would be the basis for identification of households living below the poverty line

- This exercise will help to better target government schemes to the right beneficiaries, and ensure that all eligible beneficiaries are covered, while all ineligible beneficiaries are excluded
- Households identified as highly deprived will have the highest inclusion priority under Government welfare schemes
- The last exercise to identify people living below the poverty line was conducted in 2002. Based on the learning from this exercise the methodology has been comprehensively revised to ensure complete coverage, transparency and objective identification of households based on socio economic parameters.

3. When will the SECC, 2011 take place?

- The SECC, 2011 is being conducted between June 2011 and 31st December 2011
- It was launched on 29th June 2011 in Hazemora Block in West Tripura

4. What is the difference between SECC, 2011 and the Planning Commission estimates of poverty?

The Planning Commission provides estimates of the percentage of the rural and urban population living below the poverty line in different States/UTs. That is, it estimates the "how much" of poverty. The SECC, 2011 on the other hand, will provide information on the "who" of the population living below the poverty line. **Thus, for example**, the Planning Commission estimate for a State could be that say 55% of the rural population and say 30% of the urban population is living below the poverty line. SECC, 2011 will enable that particular State to identify the households who comprise this 55% and 30% respectively.

5. Has the SECC, 2011 methodology been pilot tested?

Rural areas: The methodology for rural areas has been finalized after field testing several methodologies; and using the recommendations of the Saxena Expert Group as the reference point. The field testing was carried out in two stages. First, a socio-economic census of 254 villages was conducted using a structured questionnaire. Second, a participatory rural appraisal (PRA) technique was used to rank households in the same village according to several well-being criteria. The results of 161 villages spread over 29 states, covering 43,000 rural households have been used to finalize the criteria used in the SECC, 2011 for rural areas.

Urban areas: The Planning Commission appointed the Hashim Committee Expert Group to identify the methodology to conduct the SECC in urban areas. The data generated will be analyzed, and on the basis of this, the Committee will determine the methodology for identification of poor households in urban areas.

6. What is the process of conducting the SECC, 2011 in rural areas?

The SECC, 2011 will be conducted through a comprehensive programme involving the Ministry of Rural Development, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, The Office of the Registrar General and Census Commissioner, India and the State Governments. The process is as follows:

- Each Collector/District Magistrate will formulate a District/ Town Plan and a Communication Plan
- 24 lakh Enumeration Blocks (EB) will be used for the SECC, 2011 - each Enumeration Block has roughly 125 households. These are the same Enumeration Blocks that were formed during the Census 2011. The enumerators will be provided copies of the layout maps and Abridged House List prepared during Census

2011. This will ensure complete coverage of the area.

- Enumerators will be trained to conduct the SECC, 2011
- Each Enumerator will be assigned 4 Enumeration Blocks, and every 6 Enumerators will be assigned to one Supervisor
- Enumerators will visit every household identified in the Enumeration Block and canvas the questionnaire. They will also reach out to homeless populations (eg. people living in railway stations, roadsides etc)
- A data entry operator will accompany each Enumerator
- The data will be captured directly on an electronic handheld device (a tablet PC). The hand held device will have the scanned images of the forms filled up for National Population Register (NPR). This will also ensure complete and accurate coverage
- The information (held in the tablet PC) will be read out to the respondent, who will verify it. A printed acknowledgement slip, signed by the Enumerator and Data Entry Operator will be given to the respondent
- Collected data will be verified in the Panchayat
- After all the information is collected from an Enumeration Block, a draft publication list will be prepared for verification
- Within a week of publication of the draft list, the list will be read out at the Gram Sabha in all rural areas
- Any person can file claims/objections and information furnished before designated officers for this purpose. The draft list will be made available at the Gram Panchayat, Block Development Office, Charge Centre and District Collector's Offices
- The list will also be uploaded on the NIC/State Government/ MoRD/MoHUPA websites. This will aid transparency and increase accountability

7. How will the process work in practice?

Enumerator will canvass questions in each household in an Enumeration Block

↓

Aggregation of Enumeration Block data

↓

Based on the socio economic parameters, households that will be **automatically excluded** will be identified

↓

Based on the socio economic parameters, households that will be **automatically included** will be identified

↓

Assess deprivation of remaining households

↓

Rank households on the basis of automatic inclusion and deprivation indicators

↓

Preparation of State Level Ranking

↓

Ranking list to be handed over to State Governments

↓

State Governments to use Planning Commission poverty estimates as a cap

8. How will the households be ranked in rural areas?

Households will be ranked through a three-step process.

a. A set of households will be automatically EXCLUDED

A household with any of the following will be excluded automatically:

- Motorized two/three/four wheeler/ fishing boat/
- Mechanized three/four wheeler agricultural equipment
- Kisan Credit Card with credit limit of Rs. 50,000 and above
- Household with any member as a Government employee
- Households with non-agricultural enterprises registered with the Government
- Any member of the family earning more than Rs. 10,000 per month
- Paying income tax
- Paying professional tax
- Three or more rooms with all rooms having pucca walls and roof
- Own a refrigerator
- Own Landline phone
- Own 2.5 acres or more of irrigated land with at least 1 irrigation equipment
- 5 acres or more of irrigated land for two or more crop seasons
- Owning at least 7.5 acres of land or more with at least one irrigation equipment

b. A set of households will be automatically INCLUDED

A household with any of the following will be included automatically:

- Households without shelter
- Destitute/ living on alms
- Manual scavengers
- Primitive tribal groups
- Legally released bonded labourers

c. The remaining households will be ranked using 7 Deprivation Indicators. Households with the highest deprivation score will have the highest priority for inclusion in the list of households below the poverty level.

The following are the deprivation indicators:

- Households with only one room, kucha walls and kucha roof
- No adult member between the ages of 16 and 59
- Female headed households with no adult male member between 16 and 59
- Households with disabled member and no able bodied adult member
- SC/ST households
- Households with no literate adult above 25 years
- Landless households deriving a major part of their income from manual casual labour

9. Who will collect the information in rural areas?

- Enumerators appointed by the State Government will carry out the exercise in each Enumeration Block. They will be accompanied by a Data Entry Operator
- Enumerators will carry with them their appointment letters, and identity card issued by the State authority
- In addition, Enumerators may be accompanied by representatives of the Gram Panchayat, Gram Sabha and other citizens to ensure that data collection is done in a fair and transparent manner, with no scope for individual discretion
- It must be noted that the services of primary school teachers cannot be utilized for this purpose due to the ban imposed by the Right to Education Act, 2009

10. How will the information be collected?

- Enumerators will ask respondents questions from the questionnaire they have with them. The data entry operator will enter the responses into the electronic handheld device (Tablet PC)
- Respondents need not show document proof in support of the information they are providing. However, respondents will be expected to provide correct and authentic information, which can be verified by the Enumerator
- After the data collection is complete, the Enumerator will give the respondent an acknowledgement slip duly signed by the Enumerator and the Data Entry Operator
- The Enumerator will paste a sticker on the outside wall of the respondent's house

11. What information will be collected in rural areas?

Information will be collected at the level of the individual and household, including:

- Occupation
- Education
- Disability
- Religion
- SC/ST Status
- Name of Caste/Tribe
- Employment
- Income and source of income
- Assets
- Housing
- Consumer Durables and Non-Durables
- Land

12. In rural areas, what data will be made available and where?

All data will be read out in the Gram Sabha and Panchayat following the draft publication list being printed. Subsequently, individual information except for religion, caste and tribe data will be made available in the public domain.

13. What checks and balances will ensure that there is no misreporting or errors? What mechanisms are being put in place for public scrutiny?

A series of measures are being put in place to ensure that there is no misreporting, and to build transparency:

All data will be entered into a hand-held device – reducing the chances of data entry errors, and no possibility of interpolation or falsification of information. It will also greatly reduce the time and resources required for such an exercise.

- Enumerators will read out the information entered after the respondent has answered all questions
- Enumerators may be accompanied by representatives of the Gram Panchayat, Gram Sabha and other citizens to ensure that data collection is done in a fair and transparent manner, with no scope for individual discretion
- After the questionnaire is filled in, the Enumerator will read out the information, and give the respondent a signed acknowledgement slip. If the respondent disagrees, he will have the opportunity to plead his case. The Enumerator will conduct a summary enquiry, verify the facts and change the data if found correct. The Enumerator will also report the same to the Supervisor, who will visit the household where such differences are arising

- The draft list will be made available at the Gram Panchayat, Block Development Office, Charge Centre and District Collector's Offices. The list will also be uploaded on the NIC/ State Government/MoRD/MoHUPA websites
- Within a week of publication of the draft list, a Gram Sabha will be convened. At the Gram Sabha meeting, the names and answers of each household will be read out. All claims and objections raised in this meeting will be recorded and dealt with
- Data will be uploaded directly from the Electronic Handheld Devices to the database, removing the possibility of errors and manipulation that can creep in through a manual data entry process
- A list of supervisory bodies (institutions of high standing) is being empanelled to provide overall guidance and supervision to ensure that the data is collected accurately and fairly

14. Why wasn't the SECC, 2011 conducted under the Census Act, 1948?

Individual particulars conducted under the Census Act, 1948, are kept confidential. The SECC, 2011 requires putting such statistics (except for caste-related data) in the public domain. However, the SECC, 2011 is being conducted using the same administrative apparatus as used in the decennial population census.

How is the 2011 SECC Census better than the 2002 BPL Census?

	BPL 2002	SECC 2011	Innovations over BPL 2002
1. Parameters used	BPL population identified with 13 socio-economic indicators resulted in large-scale inclusion and exclusion errors	3 sets of parameters being used to identify BPL population: automatic exclusion, automatic inclusion and ranking based on 7 deprivation indicators	Margin for inclusion/exclusion significantly reduced:· Automatic Exclusion criteria reduces the possibility of trespass of ineligible households into the BPL list· Automatic Inclusion criteria increases the possibility of the most eligible people being included into the BPL list
2. Data verification and public scrutiny	No public verification of information	Verification at Enumeration stage; by Supervisor, Gram Sabha and other State Government Offices	Multiple layers of public scrutiny; information can be verified; increased transparency
3. Scoring Method	Complex 52-Point method	4-fold classification with simplified method	Villagers can easily comprehend; simpler to administer; easier to verify; reduced scope of discretion on part of enumerator; does away with disincentive criteria used in BPL Census 2002 (like sanitary latrines etc)
4. Manual vs. Electronic	Data entered manually from printed forms	Direct data entry using a Electronic Handheld Device (Tablet PC)	Paperless exercise increases efficiency; increased accuracy; no possibility of interpolation and falsification of data
5. Utility of data collected	Data not made available to different Ministries for programme intervention	Data displayed in MIS, fully compatible with AADHAR and NPR. Available for use by different Ministries, States, PRIs, citizens	Transparency; data can be used for scheme targeting across government departments; facilitate research and analysis; public scrutiny
6. Type of Census	2002 BPL done on a stand-alone basis	SECC 2011 being done jointly for rural and urban areas along with Caste Census	Comprehensive database allows for greater usage. Linking caste with the level of economic development while maintaining privacy of caste data allows for better understanding of caste dynamics

SOCIO-ECONOMIC AND CASTE CENSUS 2011 - QUESTIONNAIRE - RURAL

Side - **A**

Block A: **Identification Particulars**

State: Code | District: Code | Tahsil/Taluk/P.S/ Dev.Block/Circle/Mandal

Gram Panchayat: Code | Village/Town: Code | Ward code No. (Only for town)

Type of Household:
Normal.....1
Institutional.....2
Houseless.....3

If institutional household, give details

Block B: **To be pre-printed from NPR Schedule**
Houselist Block Number | Household No.

Block C: **To be copied from the Abridged Houselist**
Enumeration Block Number & Sub-Block No. (Item-6, Section-1)

Serial Number of household (Column 8 of section 2 or 3 or column 6 of section 4)

Block D: Individual Particulars

Serial Number	Name of the person Start with the head of the household (maximum 30 characters, abbreviate if required)	Relationship to head (record the relationship in full)	Sex 1=Male 2=Female	Date of birth (as per English Calendar)	Marital status 1=Never married 2=Currently married 3=Widowed 4=Separated 5=Divorced	Name of father	Name of mother	Occupation/ Activity Describe the actual work	Highest educational level completed 1=Illiterate 2=Literate but below primary 3=Primary 4=Middle 5=Secondary 6=Higher secondary 7=Graduate or higher 8=Other (Specify)	Disability 1=In Seeing 2=In Hearing 3=In Speech 4=In Movement 5=Mental Retardation 6=Mental Illness 7=Other disability 8=Multiple disability 9=Not disabled	Religion (Write name of the religion in full)	Caste/Tribe Status Give Code Scheduled Caste (SC)-1 Scheduled Tribe (ST)-2 Other-3 No Caste/Tribe-4 **(SC can be only among the Hindus, Sikhs and Buddhists. ST can be from any religion)**	If code 1, 2 or 3 in Col. 13, Write Name of Caste/Tribe If code 4 in Col. 13, put 'X'
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

SOCIO-ECONOMIC AND CASTE CENSUS 2011 - QUESTIONNAIRE - RURAL

Block E: Household Particulars

Side - **B**

Section - 1 Housing/Dwelling				Section-2 Is any household member:			Section - 3 Employment and Income Characteristics						Section - 4 Assets			Section - 5						
							Does any household member:						Does the household own the following assets (Give code)			5A Land owned				5B Other assets owned		
																		Total irrigated land (in acres)				
Predominant material of wall of dwelling room (Give code)	Predominant material of roof of dwelling room (Give code)	Ownership status of this house (Give code) 1=Owned, 2=Rented, 3=Any other	Number of dwelling rooms exclusively in possession of this household (Record 1,2,3....)	from Primitive Tribal Group: 1=Yes, 2=No	a legally released bonded labour: 1=Yes, 2=No	a manual scavanger: 1=Yes, 2=No	Have a salaried job? (1=Yes, 2=No)	If 'Yes' in Col. 8, Salaried job is in (give code) 1=Government, 2=Public sector, 3=Private sector	Pay income tax or professional tax (1=Yes, 2=No)	Own/operate an enterprise which is registered with the Government (1=Yes, 2=No)	Monthly income of highest earning household member (give code): 1= less than Rs. 5,000, 2= between Rs. 5,000 and Rs 10,000, 3=Rs. 10,000 or more	Main source of household income from (Give code) 1=Cultivation; 2=Manual casual labour; 3=Part-time or full-time domestic service; 4=Foraging, rag picking; 5=Non-agricultural Own Account Enterprise, 6=Begging/ Charity/ Alms collection; 7=Others	Refrigerator (1=Yes; 2=No)	Telephone/Mobile phone: Yes: 1=Landline only, 2=Mobile only, 3=Both/ 4=No	Motorized Two/Three/Four Wheelers or Motorized Fishing Boat requiring registration (1=Yes; 2=No)	Own any land (excluding homestead)? (1=Yes, 2=No) If landless, skip to Section-5B	Total un-irrigated land (in acres)	With assured irrigation for two crops (in acres)	Other irrigated land (in acres)	Mechanized Three/Four Wheeler Agricultural equipment (1=Yes; 2=No)	Irrigation equipment (including diesel/kerosene/electric pumpset, sprinkler/drip irrigation system, etc.) (1=Yes; 2=No)	Kisan Credit Card with credit limit of Rs 50,000 or above (1=Yes; 2=No)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Codes

Col.1 Predominant material of Wall of dwelling room
1=Grass/thatch/bamboo etc.
2=Plastic/polythene
3=Mud/unburnt brick
4=Wood
5=Stone not packed with mortar
6=Stone packed with mortar
7=G.I./metal/asbestos sheets
8=Burnt brick
9=Concrete
0=Any other

Col.2 Predominant material of Roof of dwelling room
1=Grass/thatch/bamboo/wood/mud etc.
2=Plastic/polythene
3=Hand made tiles
4=Machine made tile
5=Burnt brick
6=Stone
7=Slate
8=G.I./metal/asbestos sheets
9=Concrete
0=Any other

Col. 18, 19 & 20: Conversion tool for land

Block F: Mandatory declarations

1. Is the household **giving its consent to place the information in public domain, except data on religion and Caste/Tribe? (1=Yes, 2=No)** ☐

2. Does the enumerator agree with the responses given by the respondent? **(1=Yes, 2=No)** ☐

3. If 'No' in Q. 2 of Block F, give detailed reason **(Max 100 characters)**

Portable Handheld Device (Tablet PC)
Developed by
Bharat Electronics Ltd
For the Socio Economic and Caste Census 2011

Key Features

- Effective computing platform and access device
- Weighs 1 kg and can be carried as hand held device
- 7 inch LCD Colour Display
- Touch screen, navigation keys and keyboard
- Internet connectivity through Ethernet; 2 USB ports
- Solar-backed battery supports usage in diverse areas of deployment